दिनांक: 22 सितम्बर 2023

परिसीमन

इस लेख में "दैनिक वर्तमान मामले" और विषय विवरण "परिसीमन" शामिल हैं। यह विषय संघ लोक सेवा आयोग के सिविल सेवा परीक्षा के राजनीति और शासन खंड में प्रासंगिक है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए:

- *परिसीमन के बारे में?*

मुख्य परीक्षा के लिए:

- *सामान्य अध्ययन-02 : राजनीति और शासन*
- *परिसीमन एक विवादास्पद राजनीतिक मुद्दा क्यों बन गया है?*

सुर्खियों में क्यों:

- केंद्रीय गृह मंत्री ने संसद में पुष्टि की है कि परिसीमन की कवायद पूरी होने के बाद महिला आरक्षण विधेयक 2029 के बाद ही लागू किया जाएगा।

परिसीमन के बारे में-

- परिसीमन परिसीमन का शाब्दिक अर्थ है किसी देश या प्रांत में विधायी निकाय वाले क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करने की क्रिया या प्रक्रिया।
- परिसीमन का काम एक उच्चाधिकार निकाय को सौंपा जाता है। ऐसे निकाय को परिसीमन आयोग या सीमा आयोग के रूप में जाना जाता है।
- लोकसभा (भारत की संसद का निचला सदन) और राज्य विधानसभाओं जैसे विधायी निकायों में समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए परिसीमन आवश्यक है।
- हाल की जनगणना के आधार पर भारत की सभी लोक सभा और विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों सीमायें की पुनः निर्धारित करना।
- सीमाओं के पुनर्निर्धारण में विभिन्न राज्यों में प्रतिनिधित्व को परिवर्तित करना अर्थात प्रतिनिधियों की संख्या में परिवर्तन करना।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की विधान सभा सीटों का निर्धारण क्षेत्र की जन गणना के अनुसार।

भारत में परिसीमन कैसे किया जाता है:-

- **जनसंख्या समायोजन:** परिसीमन आयोग लोकसभा सदस्यों के चुनाव के लिये चुनावी क्षेत्रों की सीमा को निर्धारित करने का कार्य करता है। परिसीमन की प्रक्रिया में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि (राज्य में) लोकसभा सीटों की संख्या और राज्य की जनसंख्या का अनुपात पूरे देश में सभी राज्यों के लिये समान रहे।
- **भौगोलिक विभाजन:** विधानसभा चुनावों के लिये निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के दौरान इस बात का ध्यान रखा जाता है कि राज्य के सभी चुनावी क्षेत्रों में विधानसभा सीटों की संख्या और क्षेत्र की जनसंख्या का अनुपात समान रहे। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि एक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र सामान्यतया एक से अधिक ज़िलों में विस्तारित न हो।
- **संवैधानिक आवश्यकता:** परिसीमन की आवश्यकता भारतीय संविधान में निहित है। संविधान के अनुच्छेद 82 में प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा में सीटों के "पुन: समायोजन" और राज्यों को निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित

करने का आदेश दिया गया है। अन्य अनुच्छेद, जैसे अनुच्छेद 81, 170, 330, और 332, विधायी निकायों में सीटों की संरचना और आरक्षण से निपटने के दौरान भी इस आवश्यकता का उल्लेख करते हैं।

- **स्वतंत्र परिसीमन आयोग: परिसीमन** भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक स्वतंत्र परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस आयोग को जनसंख्या के आंकड़ों और भौगोलिक विचारों के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या और सीमाओं को निर्धारित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
- **निर्णयों को अंतिम रूप देना:** चुनावी प्रक्रिया में अनिश्चितकालीन देरी को रोकने के लिए, परिसीमन आयोग द्वारा किए गए निर्णयों को किसी भी अदालत में अंतिम और चुनौती नहीं दी जाती है। यह सुनिश्चित करता है कि परिसीमन प्रक्रिया लंबे समय तक कानूनी विवादों के अधीन नहीं है।

अंतिम परिसीमन:-

- भारत में, सबसे हालिया परिसीमन अभ्यास 2002 में हुआ था। इस अभ्यास के परिणामस्वरूप कोई अतिरिक्त लोकसभा सीटें नहीं बनाई गईं, जो पूरी तरह से पुनर्निर्धारित निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं पर केंद्रित थी। परिणामस्वरूप, 1976 के बाद से हमेशा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या समान रही है।
- संविधान के अनुसार, अगला परिसीमन अभ्यास 2026 के बाद आयोजित पहली जनगणना पर आधारित होना चाहिए, जो 2001 के 84 वें संशोधन अधिनियम के 25 साल बाद है। आमतौर पर, इसका मतलब यह होगा कि परिसीमन 2031 की जनगणना के बाद होना चाहिए। हालांकि, कोविड-19 महामारी के कारण 2021 की जनगणना में देरी हुई।
- यदि जनगणना का घर-सूचीकरण चरण अगले वर्ष में आयोजित किया जाता है, तो वास्तविक जनसंख्या गणना 2025 में हो सकती है। आमतौर पर, प्रारंभिक परिणाम प्रकाशित होने में कम से कम एक से दो साल लगते हैं। इसका मतलब है कि परिसीमन को 2031 की जनगणना का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है यह विलंबित 2021 की जनगणना के आधार पर भी हो सकता है।
- यदि सब कुछ सुचारू और शीघ्रता से चला तो परिसीमन प्रक्रिया के परिणामस्वरूप 2029 के आम चुनावों के लिए अधिक लोकसभा सीटें उपलब्ध हो सकती हैं। यह जनगणना और परिसीमन प्रक्रियाओं के सफलतापूर्वक पूरा होने पर निर्भर करेगा।

क्यों परिसीमन एक विवादास्पद राजनीतिक मुद्दा बन जाता है:-

- **सीटों की संख्या में बदलाव:** परिसीमन अभ्यास से संसदीय और विधानसभा सीटों की कुल संख्या में बदलाव हो सकता है। यह राजनेताओं और राजनीतिक दलों के लिए चिंता का कारण हो सकता है क्योंकि यह विधायी निकायों में उनके प्रतिनिधित्व को प्रभावित करता है।
- **अंतर-राज्य सीट वितरण:** परिसीमन राज्यों को उनके जनसंख्या अनुपात के आधार पर सीटें आवंटित करने के सिद्धांत पर आधारित है। इसका मतलब यह है कि उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्यों को अधिक सीटें मिल सकती हैं, जबकि कम जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों में सीटों में कमी देखी जा सकती है। यह गतिशीलता अंतर-राज्य संघर्ष और राजनीतिक असहमति को जन्म दे सकती है।
- **क्षेत्रीय असमानताएं:** परिसीमन राजनीतिक प्रतिनिधित्व में क्षेत्रीय असमानताओं को बढ़ा सकता है। जिन राज्यों या क्षेत्रों ने सक्रिय रूप से परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ावा दिया है, वे महसूस कर सकते हैं कि कम प्रभावी जनसंख्या नियंत्रण प्रयासों वाले राज्यों की तुलना में कम सीटें प्राप्त करके उन्हें अनुचित रूप से दंडित किया जाता है।
- **राजनीतिक संतुलन:** राजनीतिक दल अक्सर एक नाजुक राजनीतिक संतुलन बनाए रखने की कोशिश करते हैं जो उन्हें सरकार के विभिन्न स्तरों पर सत्ता या प्रभाव रखने की अनुमति देता है। परिसीमन एक पार्टी या क्षेत्र के पक्ष में सीटों की संख्या को बदलकर इस संतुलन को बाधित कर सकता है, जिससे विरोध और प्रतिरोध हो सकता है।
- **चुनावी निहितार्थ**: निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन व्यक्तिगत राजनेताओं और दलों की चुनावी संभावनाओं को प्रभावित कर सकता है। राजनेताओं को अपने मौजूदा निर्वाचन क्षेत्रों को खोने या सीमाओं को फिर से खींचने के कारण कठिन चुनावी लड़ाई का सामना करने का डर हो सकता है।
- **राजनीतिक गठजोड़:** कुछ मामलों में परिसीमन प्रक्रिया में राजनीतिक हेरफेर के आरोप लगते हैं। गेरीमैंडरिंग के आरोप, जहां सीमाओं को एक विशेष राजनीतिक दल को लाभ पहुंचाने के लिए समायोजित किया जाता है, राजनीतिक विवादों को और तेज कर सकता है।

लोकसभा में सीटों की संख्या क्यों रोकी गई?

1970 के दशक से 543 सीटों पर लोकसभा की ताकत पर रोक परिसीमन और जनसंख्या नियंत्रण प्रयासों से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए राजनीतिक निर्णयों का परिणाम है। यहां उन प्रमुख घटनाक्रमों का सारांश दिया गया है जिनके कारण संख्या क्यों रोकी गई:

- **42वां संशोधन (1976):** 1976 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने संविधान में 42वां संशोधन पेश किया। इस संशोधन ने 2001 तक सीट सीमाओं और सीट आवंटन को फिर से निर्धारित करने की प्रक्रिया को निलंबित कर दिया। इसे परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ावा देने के प्रयास के नजरिए से देखा गया था।
- **2001 में विस्तार:** प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार द्वारा 2001 में संसद और राज्य विधानसभाओं में सीटों की संख्या पर रोक बढ़ा दी गई थी। इस विस्तार को संविधान (84वां संशोधन) अधिनियम, 2002 के रूप में अधिनियमित किया गया था।
- **रोक के लिए प्रेरणा:** 2002 के संशोधन के "उद्देश्यों और कारणों का विवरण" में बताया गया कि नए परिसीमन के पक्ष और विपक्ष में लगातार मांगें थीं। इसने रोक लगाने का औचित्य प्रदान किया। राज्य सरकारों को जनसंख्या स्थिरीकरण पहल को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए संघीय सरकार ने 2026 तक परिसीमन को स्थगित करने का निर्णय लिया। विचार यह था कि 2026 तक प्रभावी जनसंख्या नियंत्रण उपाय लागू हो जाएंगे, जिससे जनसंख्या स्थिर हो जाएगी।

स्रोत:

https://www.thehindu.com/news/national/delimitation-debate-gender-vs-regional-caste-identities/article67327620.ece

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न-

प्रश्न-01 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारतीय संविधान अनुच्छेद 82 के अनुसार, प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन का आदेश देता है।
2. 1976 में 42 वें संशोधन अधिनियम ने 2001 तक परिसीमन को निलंबित कर दिया।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: A

प्रश्न-02. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. राष्ट्रपति परिसीमन आयोग की नियुक्ति करते हैं।
2. परिसीमन आयोग द्वारा किए गए निर्णय अंतिम हैं और कानूनी चुनौतियों के अधीन नहीं हैं।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: B

मुख्य परीक्षा प्रश्न-

प्रश्न-03-भारतीय निर्वाचन प्रणाली में परिसीमन के महत्व पर चर्चा कीजिए। लोकसभा सीटों की संख्या पर रोक के कारणों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए इसके निहितार्थ का विश्लेषण करें।

Rajiv Pandey

Yojna IAS योजना है तो सम्भव है

WHO ने उच्च रक्तचाप पर वैश्विक रिपोर्ट जारी की

इस लेख में "दैनिक करंट अफेयर्स" और विषय विवरण "डब्ल्यूएचओ ने उच्च रक्तचाप पर वैश्विक रिपोर्ट जारी की" शामिल है। यह विषय संघ लोक सेवा आयोग के सिविल सेवा परीक्षा के "सामाजिक न्याय" अनुभाग में प्रासंगिक है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए:

- *उच्च रक्तचाप क्या है?*
- *उच्च रक्तचाप पर वैश्विक रिपोर्ट कौन जारी करता है?*

मुख्य परीक्षा के लिए

- *सामान्य अध्ययन -02: सामाजिक न्याय*

सुर्खियों में क्यों?

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने 19 सितंबर को उच्च रक्तचाप के वैश्विक प्रभाव पर अपनी पहली रिपोर्ट जारी की।

उच्च रक्तचाप पर वैश्विक रिपोर्ट:

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने "उच्च रक्तचाप पर वैश्विक रिपोर्ट: एक साइलेंट किलर के खिलाफ लड़ाई" नामक अपनी नवीनतम रिपोर्ट का अनावरण किया है।
- यह रिपोर्ट अनियंत्रित उच्च रक्तचाप के व्यापक परिणामों पर डेटा के पहले व्यापक संकलन को चिह्नित करती है, जिसमें दिल के दौरे, स्ट्रोक, समय से पहले मृत्यु और समुदायों और राष्ट्रों पर पर्याप्त आर्थिक बोझ शामिल हैं।

उच्च रक्तचाप-

- हाई ब्लड प्रेशर में ब्लड प्रेशर 90/140 या इसके उपर पहुँच जाता है। ऐसे में शरीर के धमनियों में रक्त का दबाव बहुत बढ़ जाता है। अक्सर दिनभर में रक्त चाप अनेक बार बढ़ता और कम होता है, लेकिन अगर यह लंबे अंतराल तक अधिक रहता है तो यह सेहत के लिए हानिकारक हो सकता हैं। इस समस्या के कारण हृदय रोग, हार्ट फेल्योर और स्ट्रोक जैसी अनेक बीमारियां हो सकती हैं।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

वैश्विक प्रभाव:

- विश्व स्तर पर मृत्यु के कारण के रूप में, उच्च रक्तचाप अब धूम्रपान और उच्च रक्त शर्करा जैसे अन्य प्रमुख जोखिम कारकों से भी आगे निकल गया है।
- रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया भर में उच्च रक्तचाप से पीड़ित लोगों की संख्या 1990 और 2019 के बीच दोगुनी हो गई है, जिसमें 75 प्रतिशत से अधिक प्रभावित वयस्क एलएमआईसी (निम्न और मध्यम आय वाले देशों) में रहते हैं।
- सिस्टोलिक उच्च रक्तचाप दुनिया भर में मौत का मुख्य कारण है।

भारतीय परिप्रेक्ष्य :

- भारत में अनुमानित 188.3 मिलियन वयस्क, जिनकी उम्र 30-79 है, उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं।
- भारत में, अभी भी 67 मिलियन लोग ऐसे हैं जिन्हें 50% नियंत्रण दर तक प्राप्त करने के लिए पर्याप्त देखभाल की आवश्यकता है।
- देश का उच्च रक्तचाप प्रसार, 31% पर, वैश्विक औसत से थोड़ा पीछे है। लगभग 37% को निदान प्राप्त हुआ है, जबकि 30% का इलाज चल रहा है।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में सराहनीय कार्य के लिए प्रशंसा मिली है।

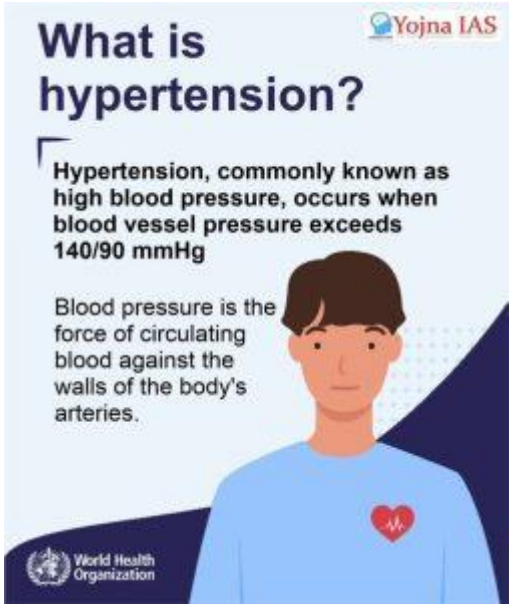

द साइलेंट किलर:

- तीन में से एक वयस्क को उच्च रक्तचाप है, जिसे "साइलेंट किलर" उपनाम दिया गया है क्योंकि यह अक्सर बिना किसी बाहरी संकेत या लक्षण के विकसित होता है। " .
- उच्च रक्तचाप से पीड़ित लगभग आधे लोग इससे अनजान हैं।

वैश्विक प्रसार:

- दुनिया की एक तिहाई वयस्क आबादी उच्च रक्तचाप का सामना करती है, जिससे उन्हें हृदय रोग, स्ट्रोक और मृत्यु दर का खतरा होता है।
- पुरुषों में महिलाओं (32%) की तुलना में थोड़ा अधिक प्रसार (34%) होता है।

उच्च रक्तचाप की देखभाल:

- उच्च रक्तचाप वाले 30-79 आयु वर्ग के वयस्कों में, केवल 54% को निदान प्राप्त हुआ है, 42% का इलाज चल रहा है, और 21% का उच्च रक्तचाप नियंत्रण में है।
- उपचार कवरेज अमेरिका के क्षेत्र में 60% के उच्च से लेकर अफ्रीकी क्षेत्र में 27% के निचले स्तर तक है।

वैश्विक लक्ष्य और रोकथाम:-

- 2025 तक, उच्च रक्तचाप की व्यापकता 25% कम हो जाएगी, लेकिन यह स्वैच्छिक वैश्विक लक्ष्य हासिल नहीं हुआ है।
- गैर-संचारी रोगों से असामयिक मृत्यु दर को कम करने के सतत विकास लक्ष्य 3.4 के अनुरूप, वैश्विक उच्च रक्तचाप नियंत्रण को 50% तक कम करने से 2023 और 2050 के बीच 76 मिलियन मौतों को रोका जा सकता है।

मुख्य सिफारिशें-

- **राष्ट्रीय नेतृत्व और जवाबदेही:** उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने पर ध्यान देने के साथ, संसाधन आवंटन और गैर-संचारी रोगों के लिए एकीकृत प्रतिक्रियाओं के निष्पादन के लिए राष्ट्रीय निरीक्षण और सुधार तंत्र स्थापित करें।
- **व्यापक कार्यक्रम:** उच्च रक्तचाप के जोखिम कारकों को संबोधित करने के लिए व्यापक कार्यक्रम विकसित करें, जैसे स्वस्थ आहार को प्रोत्साहित करना, शराब और तंबाकू का उपयोग कम करना और दैनिक जीवन में शारीरिक गतिविधि को शामिल करना।
- **डब्ल्यूएचओ हार्ट्स पैकेज को लागू करें:** दवा-विशिष्ट उपचार प्रोटोकॉल को अपनाना, स्थिर दवा आपूर्ति सुनिश्चित करना, टीम-आधारित देखभाल को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य देखभाल को रोगी के अनुकूल बनाना और उच्च रक्तचाप देखभाल डेटा के लिए एक सटीक सूचना प्रणाली स्थापित करना यह WHO HEARTS पैकेज के सभी भाग हैं जिन्हें लागू किया जाना चाहिए।
- **व्यापक कारकों को संबोधित करें:** स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को मजबूत करके और सभी को शामिल करने के लिए धीरे-धीरे उच्च रक्तचाप सेवाओं का विस्तार करके व्यापक कारकों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

स्रोत: साइलेंट किलर: उच्च रक्तचाप पर द हिंदू संपादकीय और इस विषय पर डब्ल्यूएचओ की पहली रिपोर्ट – द हिंदू

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न-

प्रश्न-01. उच्च रक्तचाप पर वैश्विक रिपोर्ट के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. उच्च रक्तचाप पर पहली रिपोर्ट 2020 में प्रकाशित हुई थी।
2. उच्च रक्तचाप पर वैश्विक रिपोर्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा प्रकाशित की गई थी।
3. यह रिपोर्ट अनियंत्रित उच्च रक्तचाप के व्यापक प्रभावों पर डेटा का एक व्यापक संकलन है, जिसमें दिल का दौरा और स्ट्रोक शामिल हैं।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 3
(d) उपरोक्त में कोई नहीं।

उत्तर: (b)

प्रश्न-02. निम्नलिखित पर विचार करें:

1. उच्च रक्तचाप पर वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार, उच्च रक्तचाप वाले लगभग दो-तिहाई लोग अपनी स्थिति से अनजान हैं।
2. भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल आयुष्मान भारत का एक हिस्सा है।
3. दुनिया की एक तिहाई वयस्क आबादी उच्च रक्तचाप का सामना करती है, जिसमें महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक प्रचलित हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) उपरोक्त में सभी।
(d) उपरोक्त में कोई नहीं

उत्तर: (D)

मुख्य परीक्षा प्रश्न-

प्रश्न-03. WHO की 'उच्च रक्तचाप पर वैश्विक रिपोर्ट', वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए इसके महत्व और उच्च रक्तचाप से निपटने में चुनौतियों की जांच करें।

Rajiv Pandey

Yojna IAS
योजना है तो सफलता है
yojnaias.com